


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

धापी, व्याख्याता-जीव विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आऊ, जोधपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम "प्रियंका" परिवर्तित किया है।

अतः वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक: एफ 1(3) एफडी(रूलस)/2017 जयपुर दिनांक: 15.02.2018 के परिपेक्ष्य में धापी, व्याख्याता-जीव विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आऊ, जोधपुर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम "प्रियंका" अंकित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में धापी व्याख्याता-जीव विज्ञान से संबंधित राजकीय आदेश, कार्यों, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में परिवर्तित नाम "प्रियंका" जारी किया जावे।


(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीग/उपनाम-परिवर्तन/2021/ दिनांक:- 09.05.22
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर